



2026:AHC:63418

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 528 संख्या - 8063 वर्ष 2026

सहजाद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

चन्द्रजीत

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
- यह आवेदन बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदक द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (सी.डि.) न्यायालय संख्या 2, रामपुर के न्यायालय में लंबित वाद संख्या 152/2023 (राम निवास बनाम ए.के. इंजीनियरिंग), अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, थाना मिलक, जिला रामपुर की संपूर्ण कार्यवाही के साथ-साथ में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (सी.डि.) न्यायालय संख्या 2, रामपुर द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 03.01.2024 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दोनों पक्षों के बीच धन का विवाद है और प्रतिपक्षी संख्या 2 ने आवेदक के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि चूंकि धन के भुगतान को लेकर विवाद है, इसलिए आपसी समझौते के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की प्रबल संभावना है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच., 2010 (5) एससीसी 663 में प्रतिवेदित, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है। प्रासंगिक प्रस्तर संख्या 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

“17. हाल ही में प्रकाशित एक टीका में, अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नानुसार संप्रेक्षण किए गए हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, धारा 138, परक्राम्य लिखित अधिनियम के विषय पर विधि सुधारों के संबंध में कुछ विचार - वादों के हिमस्खलन से निपटना] (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पृष्ठ 5 पर] :

“....अन्य प्रकार के अपराधों के विपरीत, यहाँ (परिवादी के संदर्भ में) दंड प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि धन की वसूली सुनिश्चित करने का साधन है। परिवादी का हित मुख्य रूप से चेक जारीकर्ता को जेल भेजने की बजाय धन की वसूली में निहित है। जेल की धमकी मात्र वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। जहाँ तक अभियुक्त के जेल जाने की इच्छा का प्रश्न है, चेक धारक के पास उपाय के रूप में बहुत कम विकल्प उपलब्ध हैं।

यदि हम एक पक्ष के अंतिम निर्णय से पहले 'समझौते' या 'निस्तारण' किए गए परिवादों की संख्या और दूसरे पक्ष के उन मामलों की जांच करें जो निर्णय और दोषसिद्धि तक पहुंचे, तो हम पाएंगे कि अधिकांश मामले सुलझा लिए गए और केवल नगण्य संख्या में मामले ही आगे बढ़े।“

18. यह स्पष्ट है कि चेक के अनादरण के अपराध के संबंध में, दंडात्मक पहलू की तुलना में क्षतिपूर्ति पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को भी कुछ हद तक समर्थन मिलता है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामले वास्तव में समझौते या सुलह के माध्यम से निपटाए जा रहे हैं, हालांकि मुकदमेबाजी के बाद के चरणों में, जिससे न्याय मिलने में अनावश्यक देरी हो रही है। समस्या यह है कि वादीगण अपने विवाद को सुलझाने के साधन के रूप में देर से सुलह का विकल्प चुनते हैं।.....

19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान अटॉर्नी जनरल का कहना है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पक्षकार परिवाद का संज्ञान लेते ही समझौता करने के बजाय अंतिम उपाय के रूप में समझौता करना चुन रहे हैं। ऐसे व्यवहार का एक कारण यह हो सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों से गुजरने का जोखिम उठाने को तैयार हैं और समझौता तभी चुनते हैं जब कोई अन्य रास्ता न बचे। हालांकि मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से ऐसा व्यवहार



तर्कसंगत लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि समझौता करने में अनुचित देरी विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ाती है। यदि अभियुक्त मुकदमेबाजी के बाद के चरण में समझौते के माध्यम से अपराध का निपटारा या समझौता करने को तैयार है, तो यह आमतौर पर परिवादी के मामले में कुछ सच्चाई का संकेत होता है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि पक्षकार मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों में ही समझौता करना चुनें। हालांकि, यदि अभियुक्त के पास गलती, जालसाजी या जबरदस्ती जैसे वैध बचाव हैं, तो मामले को निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है।"

5. अधिवक्ता के अनुरोध पर, यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त आज से एक महीने के भीतर अपने प्रतिनिधि अधिवक्ता के माध्यम से अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो और समझौता करके अपराध के शमन के लिए आवेदन प्रस्तुत करे तथा चेक राशि का 10% जमा करे। ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित न्यायालय इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कदम उठाएगा और अभियुक्त को इस दिशा में प्रयास करने के लिए आज से अधिकतम चार महीने की अवधि तक का और अवसर प्रदान करेगा। इसके बाद, न्यायालय दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए आज से पांच महीने की अवधि के भीतर आवश्यक आदेश पारित करेगा।

6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के शमन के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होना और विचारण का सामना करना आवश्यक होगा और न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम और उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगी।

7. उपर्युक्त पांच महीने की अवधि के दौरान या आवेदन के आलोक में दिए गए निर्णय तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी उत्पीड़नात्मक उपाय नहीं अपनाया जाएगा।

8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उस अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से यह आवेदन अंतर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस न्यायालय में दायर किया गया है।

9. उपरोक्त संप्रेक्षणों के साथ इस आवेदन का निस्तारण किया जाता है।



26 मार्च, 2026

एसकेडी

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।